जारी/श्री आशीष
23/1/2024

संख्या-01/2024/1539/39-4-2023/002-15(127)/2023 टी0सी0

जारी
23-01-2024

प्रेषक,

आत्म प्रकाश पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक २३ जनवरी, 2024

विषय:- अनुदान संख्या-082 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-104-सतर्कता-03- सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1477/स0आ0-2023 दिनांक 20.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-082 के अन्तर्गत सचिव, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण के पत्र दिनांक 17.11.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपूरक मांग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदान संख्या-082-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-104-सतर्कता-03-सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मानक मद 01-वेतन, 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय तथा 49-चिकित्सा व्यय में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि क्रमशः रूपया 47.00 लाख, रूपया 18.00 लाख तथा रूपाया 9.00 लाख अर्थात् कुल रूपये-74.00 लाख (रूपये चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39/2023/बी-2-755/दस-2023-244/2023 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य निर्देशों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल में अंकित निर्देशों/प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही दिनांक 31 मार्च 2024 के पूर्व समर्पित करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग एवं सतर्कता विभाग को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2070001040300 (सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण	01 वेतन	47,00,000 (रुपये सैंतालीस लाख मात्र)
2	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
3	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण	49 चिकित्सा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
	कुल			**74,00,000 (रुपये चौहत्तर लाख मात्र)**
			महायोग	**74,00,000 (रुपये चौहत्तर लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस 2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by आत्म प्रकाश पाण्डेय
Date: 23-01-2024 19:14:31
Reason: Approved

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-01/2024/1539(1)/39-4-2023/002-15(127)/2023 टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(5) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(6) आदेश पुस्तिका।

आ0प्रकाश

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।